

(वैब साईट पर अपलोड करने वाले)

## राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड सीकर

एस.के. हॉस्पिटल परिसर,  
कॉटेज वार्ड सीकर, जिला सीकर

क्रमांक:प.01( )/चि.स्वा./खण्ड-सीकर/2013-14/893

फोन नं. 01572-270329  
E-mail- cerhsopsikar@gmail.com  
दिनांक :- 28.02.2014

ई-टेंडरिंग निविदा सूचना - 07/2013-14

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के सीकर में निविदा मय दो वर्ष का दोष निवारण (डिफेक्ट लाइबिलिटी) अवधि के साथ उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार में उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं।

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर राशि (रु में)	निविदा शुल्क (रु. में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	ऑन लाईन निविदा खोलने का कार्यालय
1	100 शैय्याओं की एमसीएच यूनिट सीकर में एयर कुलिंग (Air cooling) का कार्य	50.00	1,00,000/-	1000/-	15 माह	अधिशासी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खण्ड सीकर

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराए।

निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी:-

किसी भी सीमा तक: EAC - I

रुपये 25 लाख तक: EAC - II

रुपये 10 लाख तक: EAC - III

रुपये 05 लाख तक: EAC - IV

- वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.टी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कारी नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रु. तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
- धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे आर्डर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता भेड़िकल एण्ड हैल्थ A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी के नाम देय होगा।
- निविदा डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा करने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगा :-
  - अ निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक गुरुवार, 20 मार्च 2014 समय 9:00 बजे से सोमवार 28 अप्रैल 2014, सायं 5.00 बजे तक होगी।
  - ब निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सीकर या अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में मंगलवार 29 अप्रैल 2014 अपरान्ह 1.00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।
  - स निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर सोमवार, 28 अप्रैल 2014, सायं 6.00 बजे तक अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, के कार्यालय में दिनांक मंगलवार 29 अप्रैल 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी।
  - द सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में संवेदक द्वारा गुरुवार, 20 मार्च 2014 समय 9:00 बजे से सोमवार 28 अप्रैल 2014, सायं 5.00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, विभिन्न कार्यों की भात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।

4. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा बापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्टेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
6. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवाएं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
7. निविदादाता इन प्रपत्रों को Download कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में अधिशासी अभियन्ता, सीकर या अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।
8. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। अतः पी.डब्ल्यू.ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होंगी।
9. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिये निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रणाल पत्र देना होगा।
10. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है।
11. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् दो वर्ष तक रहेगा।
12. ई-टेन्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश
- अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट [“http://www.eproc.rajasthan.gov.in”](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
- ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाताओं को इन्टरनेट साइट [“http://www.eproc.rajasthan.gov.in”](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट - 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- द. ऑन लाइन निविदाये निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेंगी।
- य. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटक कर दी गयी है।
- र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।
13. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं विकी कर चुकता का प्रमाण पत्र की प्रतियां बैंब साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेज की भौतिक प्रतियां आवश्यक रूप से निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के साथ जमा कराना होगा। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेंगी। निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा। पोस्ट ब्यालिफिकेशन में रेसपोन्सिव निविदादाताओं की वित्तीय विड खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई-मेल से दी जावेगी।
14. निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग देय होंगे। अगर एक डिमांड ड्राफ्ट को एक से अधिक निविदा में अपलोड करना पाया गया तो निविदा दाता को इन सभी निविदाओं के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
15. निविदा दाता निविदा भरते वक्त अपने सम्पूर्ण पते के साथ अपना ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नं. भी लिखे। जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।

32/07  
अधिशासी अभियन्ता  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
खण्ड सीकर